HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous IV Bail Application No. 16858/2026
CNR: RJHC021027012026 | URN: CRLMB / 31103U / 2026

Smt. Shyam Bai W/o Late Shri Manphool, Aged About 66 Years, R/o Sansi Basti Chauth Ka Barwada, District Sawai Madhopur, Currently Living In Slum, Opposite India Oil Petrol Pump, Near Oswal Circle, Rico Sitapura, Police Station Sanganer Sadar, Jaipur. (At Present Confined At Mahila Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girraj P Sharma Ms. Nikita Sharma Mr. Varun rankawat
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

02/11/2026

प्रार्थिया की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सांगानेर सदर, जिला–जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 951/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह चतुर्थ प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थिया–अभियुक्ता का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.08.2026 को निरस्त होने के उपरान्त अभिरक्षा अवधि ढाई माह और बढ़ चुकी है। प्रार्थिया की कुल अभिरक्षा अवधि अब 14 माह हो चुकी है। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के चार साक्षीगण, जिनमें से दो बरामदगी के साक्षी हैं, परीक्षित हुए हैं। बरामदगी के साक्षीगण इकराम और रेखा पीडब्ल्यू 5 व पीडब्ल्यू 6 के रूप में

परीक्षित हुए हैं और उन्होंने अपने कथन में, सील किस तरह की थी तथा मौके पर उसे नष्ट किया गया अथवा नहीं, के संबंध में सर्वथा विरोधाभासी कथन किये हैं। साक्षी इकराम ने अपने कथन में बरामदगी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। इससे स्पष्ट है कि दोनों ही साक्षीगण बरामदगी के समय मौजूद नहीं थे और उनके कथन संदेहास्पद हो जाते हैं। उनका तर्क है कि किसी स्वतंत्र गवाह को बरामदगी का साक्षी नहीं बनाया गया है। प्रार्थिया महिला है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का इस प्रकृति का केवल एक ही आपराधिक प्रकरण संस्थित है। वर्तमान् मामला मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से कम का है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थिया को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि यद्यपि वर्तमान् मामला वाणिज्यिक मात्रा से कम का है, परन्तु प्रार्थिया के विरूद्ध पूर्व के 09 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से एक एक इसी प्रकृति का है और शेष में से अधिकांश प्रकरण आबकारी अधिनियम के हैं। प्रार्थिया आदतन अपराधी है तथा उसके विरूद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थिया के विरूद्ध धारा 8/21 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत पूर्व जमानत प्रार्थनापत्र गुणावगुण पर निरस्त किये गये थे। इस प्रकरण में प्रार्थिया के आधिपत्य से 10 ग्राम स्मैक बरामद होना बताया गया है, जो यद्यपि वाणिज्यिक मात्रा से कम है, परन्तु प्रार्थिया के विरूद्ध पूर्व के 09 आपराधिक प्रकरण संस्थित हैं, जिनमें से एक इसी प्रकृति का तथा अन्य में से अधिकांश आबकारी अधिनियम से संबंधित है। अतः प्रार्थिया आदतन अपराधी होना प्रकट होती है। प्रकरण की परिस्थितियों में ऐसा कोई सारवान् परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे वह जमानत प्राप्त करने की अधिकारी हो। तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.08.2026 को निरस्त होने के पश्चात् उसकी अभिरक्षा अवधि में ढाई माह की अवधि बढ़ जाने से वह जमानत की अधिकारिणी नहीं हो जाती है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थिया–अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थिया–अभियुक्ता की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

विचारण न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से दो माह के भीतर प्रकरण का निस्तारण करने के यथासम्भव प्रयास करें।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/S-A/88/VISHAL SHARMA